ादेश ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

करण संख्या : 171/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रो हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पता : 09, कम्यूनिटी सेन्टर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

श्री नवीन चौधरी,

पता :– फ्लेट नं. एन–503 और एन–504, पंचम तल, नॉर्थ ब्लॉक, पिंक प्राईड, दा सुईटस, खसरा संख्या 9, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर, जयपुर,

अगुणी ढ़ाणी, लल्या का बास, महापुरा, जयपुर

एवं मैसर्स सुमन एंटरप्राईजेज, अगुणी ढ़ाणी, लल्या का बास, महापुरा, जयपुर।

सुमन देवी,

पता :– फ्लेट नं. एन–503 और एन–504, पंचम तल, नॉर्थ ब्लॉक, पिंक प्राईड, दा सुईटस, खसरा संख्या 9, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर, जयपुर।

सुमन डी,

पता :– अगुणी ढ़ाणी, लल्या का बास, महापुरा, जयपुर।

ी सुनील चौधरी,

पता :– फ्लेट नं. एन–503 और एन–504, पंचम तल, नॉर्थ ब्लॉक, पिंक प्राईड, दा सुईटस, खसरा संख्या 9, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर, जयपुर

एवं अगुणी ढ़ाणी, लल्या का बास, महापुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 26.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.02.2020 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नवीन चौधरी के स्वामित्व की सम्पति खसरा संख्या 9, पिंक प्राईड, नॉर्थ ब्लॉक, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर, जयपुर के पंचम तल पर स्थित फ्लेट नं. एन 503 एवं एन 504, क्षेत्रफल 897.60 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 20,70,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement**

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,70,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 19,36,117/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.06.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नवीन चौधरी के स्वामित्व की बंधक सम्पति खसरा संख्या 9, पिंक प्राईड, नॉर्थ ब्लॉक, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, सांगानेर, जयपुर के पंचम तल पर स्थित फ्लेट नं. एन 503 एवं एन 504, क्षेत्रफल 897.60 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)